

विकासात्मक खबरों के प्रकाशन में दैनिक पत्रों की भूमिका (दैनिक जागरण, झाँसी में प्रकाशित मनरेगा से संबंधित खबरों के संदर्भ में)

कौशल त्रिपाठी

सामाजिक आर्थिक विकास किसी भी विकासशील देश की प्राथमिक चिन्ता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विकास की गति तीव्र करने में जनमाध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और अपनी जिम्मेदारी का शत-प्रतिशत निर्वहन करना चाहते हैं तो उन्हें विकासात्मक खबरों के प्रति सकारात्मक भूमिका का निर्वाह अवश्यमेव करना पड़ेगा। यह शोध अध्ययन दैनिक समाचार पत्रों के विकासात्मक समाचारों के प्रति वर्तमान व्यवहारों के अन्वेषण से संबंधित है। इस अध्ययन के लिए मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को आधार बनाया गया है।

देश के खाली पेट मेहनतकशों की भूख मिटाने के इरादे से शुरू की गयी मनरेगा जिले में शुरूआती दौर से आगे नहीं बढ़ पायी है; कभी दाम की कमी तो कभी काम करने वालों की कई स्थानों में इस बात को लेकर समस्या है कि किस जमीन पर मजदूरों का पसीना बहाया जाय, ताकि उन्हें सौ रूपये दिये जा सकें।

खुशहाल किसान और मजदूर की कल्पना को साकार करने के लिये बनी मनरेगा जैसे तो भूख मिटाने वाली दवा मानी जाती है, लेकिन धरातल पर इसकी कुछ और ही तस्वीर है। मजदूरों के लिये मजदूरों की कमी के साथ किसानों के पाले में दो गज जमीन न होना भी उन्हें पैसे की अदायगी में सबसे बड़ा रोड़ा है। कहने को मनरेगा ग्यारह विकल्पों की वह खादान है, जिसमें कोई भी हाथ चलाकर सौ रूपये का नोट पा सकता है। इसके बाद भी जनपद में बजट की किस्तों में कमी, भ्रष्टाचार और बकाया के आंकड़े बताते हैं कि योजना की गति कितनी धीमी है।

परिकल्पना:-

विकासात्मक खबरों के प्रति क्षेत्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों का रवैया उदासीन रहता है।

उद्देश्य:-

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जनमाध्यमों में मनरेगा के बारे में रिपोर्टिंग की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना है। इसके अन्तर्गत निम्न बातों को जानने का प्रयास किया गया है -

विषय सामग्री का प्रकार, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ पर स्थान, कॉलम संख्या एवं ले-आउट के आधार पर मनरेगा पर प्रकाशित सभी प्रकार की सामग्री को किस प्रकार महत्ता प्रदान की गयी है।

मनरेगा से संबन्धित सामग्री का सकारात्मक, नकारात्मक, विचारात्मक और सूचनात्मकता के आधार पर अन्तर्वस्तु विश्लेषण करना इस अध्ययन का एक अन्य उद्देश्य है।

शोध अध्ययन के विविध चयनों का आधार :-

1. मनरेगा का चयन :-महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है, जो रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। भारत में 75-80 प्रतिशत ग्रामीण जन आय के लिये कृषि पर निर्भर हैं, कार्य न होने पर शहरों की तरफ पलायन करते हैं। यह योजना उन्हें उन्हीं के पंचायत क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराती है। एक साल में 100 रूपये के हिसाब से 100 दिन का काम एक व्यक्ति को साल में 10,000 रूपये की गारंटी प्रदान करता है। अधिनियम जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकता है, वहीं ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासपरक कार्यों को बढ़ावा देता है। योजना का सही क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं देख-रेख ग्रामीण भारत के विकास के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

2. झाँसी परिक्षेत्र का चयन :-बुन्देलखण्ड की गरीबी, पिछड़ापन, सूखा, बेरोजगारी और इससे जुड़ी अन्य समस्याओं के बारे में मीडिया में काफी कुछ लिख जा चुका है। इस मुद्दे को राजनीतिज्ञों ने भी पिछले सालों में काफी उछाला है। इस प्रकार सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए यह एक उपयुक्त क्षेत्र है। झाँसी से कई प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। ऐसे में इन समाचार पत्रों में

मनरेगा से संबंधित समाचार या अन्य सामग्री, क्षेत्र में क्रियान्वित इस योजना की स्थिति को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. क्षेत्रीय दैनिक हिन्दी समाचार “दैनिक जागरण” का चयन :-उत्तर भारत के सभी हिन्दी भाषी क्षेत्रों में दैनिक जागरण समाचार पत्र की पाठक संख्या काफी अधिक है। यह समाचार पत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर रूप से लोकप्रिय है। दैनिक जागरण ने क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक पत्रकारिता को नये आयामों तक पहुँचाया है। झाँसी से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, झाँसी की प्रसार संख्या दूसरे स्थान पर है।

4. समयाविधि का चुनाव :-प्रस्तुत शोध के अध्ययन के लिए 20 दिसम्बर, 2009 से 20 मार्च, 2010 तक झाँसी से प्रकाशित दैनिक जागरण समाचार पत्र में मनरेगा से संबंधित सामग्री का अंतर्वस्तु विश्लेषण के आधार पर अध्ययन किया गया है।

शोध प्रविधि:-

प्रस्तुत शोध की प्रकृति विकासात्मक संचार के रूप में समाचार पत्रों की भूमिका पर आधारित है। समाचार पत्र का काम केवल घटनाओं और सूचनाओं का संप्रेषण ही नहीं है। लोकतंत्र में समाचार पत्र की भूमिका ‘वाचडग’, या चतुर्थ स्तंभ और प्रहरी से बढ़कर विकास कार्य में सहयोग करना भी है। समाचार की इसी भूमिका को शोध की प्रकृति के रूप में अध्ययन किया गया है।

अन्तर्वस्तु विश्लेषण के लिए इकाई का चयन व वर्गीकरण:-

प्रस्तुत शोध के लिए शोध अवधि के दौरान मनरेगा से संबंधित सभी समाचारों, सम्पादकीय, सम्पादक के नाम पत्र, लेख और सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशित दिन, पृष्ठ पर स्थान, पृष्ठ संख्या, कालम संख्या, ले-आउट को इकाई मान कर इसी आधार पर वर्गीकरण कर उसका विश्लेषण किया गया है।

इसके साथ ही मनरेगा से संबंधित समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री का सकारात्मक, नकारात्मक, विचारात्मक और सूचनात्मकता के आधार पर वर्गीकरण कर अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया है।

सारणीयन एवं विश्लेषण:-

समाचार पत्र के विश्लेषण के पश्चात जो तथ्य सामने आय हैं उसका संक्षेप में वर्णन किया गया है।

मनरेगा से संबंधित प्रकाशित सामग्री की महत्ता के संदर्भ में तालिका 1.1 अनुसार।

प्रस्तुत शोध अवधि के दौरान 12 समाचार, 1 सम्पादकीय, और 1 सरकारी विज्ञापन प्रकाशित हुआ। लेख और सम्पादक के नाम पत्र में मनरेगा से संबंधित कोई सामग्री प्रकाशित नहीं हुई। 90 दिन की शोध अवधि में प्रकाशित सामग्री संतोषजनक है।

पृष्ठवार आंकलन में प्रथम पृष्ठ पर 3 बार समाचार प्रकाशित हुए हैं। इसमें 1 एंकर स्टोरी, 1 समाचार मध्य में और 1 समाचार सिंगल कालम बांये हाथ पर प्रकाशित हुआ। कुल 12 समाचारों में 25 प्रतिशत प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुए। अन्य पृष्ठों पर क्रमशः पृष्ठ 5 पर तीन, पृष्ठ 11 पर चार, पृष्ठ 13 पर एक और पृष्ठ 15 पर एक समाचार प्रकाशित हुआ।

ज्यादातर समाचारों को पृष्ठ के मध्य में स्थान दिया गया है।

मनरेगा से संबंधित सभी समाचारों, सम्पादकीय, सम्पादक के नाम पत्र, लेख और सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशित दिन, स्थान, पृष्ठ संख्या, कालम संख्या, ले-आउट पर वर्गीकरण

क्र. सं.	प्रकाशित सामग्री	दिनांक	पृष्ठ संख्या	स्थान	कॉलम संख्या	ले-आउट
1.	समाचार	20 दिसम्बर 09	11	मध्य	3×15 से.मी.	सिंगल लाइन हेडलाइन, 1 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल
2.	समाचार	21 दिसम्बर 09	11	मध्य	2×10 से.मी.	सिंगल लाइन बोल्ड हेडलाइन, 1 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल
3.	समाचार	22 दिसम्बर 09	05	मध्य	3×10 से.मी.	सिंगल लाइन बोल्ड हेडलाइन, 2 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल, कलर टेक्सट बॉक्स (1.5×5 से.मी.)मध्य में
4.	समाचार	22 दिसम्बर 09	11	ऊपर	2×15 से.मी.	डबल लाइन बोल्ड हेडलाइन, 0 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल
5.	समाचार	13 जनवरी 10	11	मध्य	1×10 से.मी.	डबल लाइन बोल्ड हेडलाइन, 0 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल
6.	समाचार	21 जनवरी 10	15	मध्य	2×15 से.मी.	डबल लाइन बोल्ड हेडलाइन, 2 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल
7.	समाचार	03 फरवरी 10	01	एंकर स्टोरी	2×15 से.मी.	सिंगल लाइन बोल्ड हेडलाइन, 2 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल, कलर फोटो (1.5×5 से.मी.)
8.	समाचार	03 फरवरी 10	05	नीचे	2×10 से.मी.	डबल लाइन बोल्ड हेडलाइन, 2 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल
9.	समाचार	10 फरवरी 10	05	मध्य	2×10 से.मी.	सिंगल लाइन हेडलाइन, 2 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल
10.	समाचार	17 फरवरी 10	01	मध्य	2×10 से.मी.	बॉक्स आइटम, डबल लाइन बोल्ड हेडलाइन, 0 क्रासर, टेक्सट नॉर्मल
11.	समाचार	11 मार्च 10	13	नीचे	2×15 से.मी.	सिंगल हैवी बॉल्ड लाइन हेडलाइन, 1 क्रासर, टेक्सट इटैलिक
12.	समाचार	13 मार्च 10	01	मध्य	2×15 से.मी.	डबल हैवी बोल्ड लाइन हेडलाइन, एक सहायक हेडलाइन, 2 क्रासर, पिक्चर ग्राफिक (1.5×5 से.मी.), टेक्सट नार्मल,
13.	सम्पादकीय	16 फरवरी 10	सम्पादकीय पृष्ठ	प्रथम सम्पादकीय		
14.	विज्ञापन	02 फरवरी 10	11	संपूर्ण पृष्ठ		5 पासपोर्ट आकान की फोटो(ऊपर), तीन लाइन बोल्ड हेडलाइन की सूचना, एवं अन्य सूचनाएं, मनरेगा में कार्यरत मजदूरों का चित्र(दाएं,नीचे)

नोट : लेख, सम्पादक के नाम पत्र और फीचर आदि अन्य प्रकाशित सामग्री की संख्या शून्य

शोध संचयन

SHODH SANCHAYAN

ISSN 2249-9180 (Online)

ISSN 0975-1254 (Print)

RNI No.: DELBIL/2010/31292

**Bilingual journal
of Humanities &
Social Sciences**

Half Yearly

**Vol. 1, Issue 2,
15 July, 2010**

विकासात्मक खबरों के
प्रकाशन में दैनिक पत्रों की
भूमिका (दैनिक जागरण,
झाँसी में प्रकाशित मनरेगा
से संबंधित खबरों के
संदर्भ में)

कौशल त्रिपाठी

प्रवक्ता, भास्कर जनसंचार एवं
पत्रकारिता संस्थान, बुन्देलखण्ड
विश्वविद्यालय, झाँसी, उ०प्र०

www.shodh.net

क्र. सं.	समाचार शीर्षक	क्रासर	प्रकृति	दिनांक
1.	मनरेगा दिवस पर नहीं आये फरियादी	● दिन भर फुर्सत में बतियाते रहे अधिकारी	नकारात्मक	20 दिसम्बर 09
2.	मुश्किल कार्यों को आसान बनाने पर मंथन	● मनरेगा के सभी विकल्पों पर तेजी लायी जाएगी	सकारात्मक	21 दिसम्बर 09
3.	मनरेगा : आधा ही बजट आ पाया बॉक्स :- सूचनाओं में उलझा तंत्र	● कभी धन तो कभी सम्पदा आड़े आ जाती है ● सूचनाओं की त्वरित कारवाई में उलझे अधिकारी	नकारात्मक	22 दिसम्बर 09
4.	जनसुविधा केन्द्रों पर जल्द दर्ज हो सकेंगी शिकायतें	-----	सूचनात्मक	22 दिसम्बर 09
5.	बैंकों में नहीं खोले जा रहे मनरेगा मजदूरों के खाते	-----	नकारात्मक	13 जनवरी 10
6.	विकास कार्यों में हीलाहवाली पर गिर सकती है गाज	● सीडीओ ने एक माह का अल्टीमेटम दिया ● गांवों की हालत सुधारने पर जोर	सकारात्मक, नकारात्मक	21 जनवरी 10
7.	मनरेगा में खामी की तोहमत सूबों के सिर	● विस चुनाव के मद्देनजर धुरी हुई सियासत ● पी एम ने मनरेगा के अमल में राज्यों के दोष गिनाए	सकारात्मक	03 फरवरी 10
8.	योजनाओं के धन का सदुपयोग करें : आयुक्त	● धन दुरुपयोग की शिकायत पर एफआईआर व रिकवरी होगी : सीडीओ ● चिरकाना में चौपाल लगाकर विकास कार्यों की समीक्षा	सूचनात्मक	03 फरवरी 10
9.	मनरेगा के पैसे से खरीदे खिलौने!	● विधान परिषद में गुंजा मामला, सरकार बोली जांच कराएंगे। ● सपा बोली लीपा पोती की कोशिश	सूचनात्मक	10 फरवरी 10
10.	मनरेगा : अब 12वीं पास को भी मिलेगा रोजगार	-----	नकारात्मक	17 फरवरी 10
11.	मनरेगा, यानी जो चाहो वह करो!	● कांग्रेस ने लगाया सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप	नकारात्मक	11 मार्च 10
12.	मनरेगा में मन मानी पर सख्त एतराज धांधली करने वालों पर सख्त कारवाई की सिफारिश	● लेकसेवा समिति ने ग्रामीण मंत्रालय को फटकारा ● मुआवजा 25 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने की सिफारिश	नकारात्मक, सूचनात्मक	13 मार्च 10
सम्पादकीय				
1.	मनरेगा	-----	-----	16 फरवरी 10
विज्ञापन				
1.	मनरेगा सम्मेलन कार्यान्वयन के चार वर्ष पूरा होने पर स्मृति समारोह	-----	-----	02 फरवरी 10

केवल दो समाचार ही पृष्ठ के नीचले भाग में प्रकाशित हुए हैं।

2 समाचार तीन कॉलम (3×15 से.मी., 3×10 से.मी.) के, 9 समाचार दो कॉलम (4 समाचार 2×15 से.मी., 5 समाचार 2×10 से.मी.) के और मात्र 1 समाचार एक कॉलम (1×10 से.मी.) का प्रकाशित हुआ है।

अधिकतर समाचार की डबल लाइन हेडलाइन के और बोल्ट फोन्ट में है। एक-दो समाचारों को छोड़कर सभी समाचारों को 2 और 1 क्रॉसर के साथ सजाया गया है। 1 समाचार फोटो सहित, 1 समाचार ग्राफिक्स के साथ और कुछ को कलर बॉक्स के साथ सजाया गया है।

निष्कर्ष:-

सामग्री की संख्या, पृष्ठवार आंकलन, समाचारों को दिया गया स्थान, कॉलम संख्या और ले-आउट का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि दैनिक जागरण पत्र ने प्रमुखता से मनरेगा से संबंधित समाचारों को प्रकाशित किया है, और उन्हें पत्र में उचित स्थान देने के साथ ही बेहतर ले-आउट प्रदान किया है। इस दौरान पत्र में एक सम्पादकीय भी प्रकाशित हुआ है। इसके बावजूद सम्पादकीय पृष्ठ पर एक भी लेख का न होना एक निराशा की बात है। विषय की महत्ता को देखते हुए इस प्रकार के लेखों का प्रकाशित होना आवश्यक था।

मनरेगा से संबंधित सामग्री का सकारात्मक, नकारात्मक, विचारात्मक और सूचनात्मकता के आधार पर वर्गीकरण (तालिका 1.2) एवं अंतर्वस्तु विश्लेषण।

कुल समाचारों में 3 समाचार ही सकारात्मक हैं।

6 प्रकाशित समाचार नकारात्मक हैं।

1 सम्पादकीय विचारात्मक है।

5 समाचार सूचनात्मक है। (3 सूचनात्मक, 1 सूचनात्मक एवं सकारात्मक और 1 सूचनात्मक एवं नकारात्मक)

1 विज्ञापन सूचनात्मक है।

निष्कर्ष:-

सकारात्मक समाचार :- कुल समाचारों में 3 समाचार सकारात्मक एवं 1 समाचार सकारात्मक एवं सूचनात्मक है। एक समाचार में मनरेगा से जुड़े किसानों और मजदूरों के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है। मनरेगा में ऐसे कार्यों पर जोर दिया गया है जिससे किसानों, मजदूरों का योजना में मन लगे और वे कोई भी कार्य करने में पीछे न रहें, इसके लिये योजनाओं से जुड़े लोगों को कुछ सुझाव भी दिये गये हैं। केन्द्र सरकार ने मनरेगा में शुरूआती दौर में तालाब खुदाई आदि कार्यों के बेहतर परिणाम न आने एवं ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने के लिये सरकार ने कुछ और विकल्प जोड़े थे। खासकर किसानों को जागरूक बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये रेशम उत्पादन, मछली पालन, औषधि खेती आदि पर विशेष जोर दिया गया। लेकिन जिले में इन विकल्पों को लेकर किसानों में कोई उत्साह नहीं है। इसके लिये ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवकों को जागरूक करते हुये किसानों की समस्या का समाधान करने को कहा गया है। बुन्देलखण्ड की परिस्थितियों के मद्देनजर सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही मनरेगा के अन्य विकल्पों से लोगों को जोड़कर लाभ दिया जाएगा। 3 फरवरी को प्रकाशित एंकर स्टोरी में समाचार पत्र ने प्रधानमंत्री के 2 फरवरी को आयोजित सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य को प्रमुख समाचार बनाया है। इसमें मनरेगा में खामी की तोहमत राज्यों के सिर मढ़ दी गयी है। आर्थिक मंदी का जिद्द करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे कई उद्योगों में रोजगार कम हुये है। सूखा पड़ने के बावजूद ग्रामीण बेरोजगारों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है। उन्हें उन्हीं के गांवों में काम दिया जा रहा है। मनरेगा में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता बढ़ाने पर जोर देते हुये उन्होंने कहा कि इससे योजना को कारगर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण बुनियादी ढांचा जहाँ मजबूत होगा, वहीं कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी। मजदूरी के भुगतान में विलम्ब, जवाबदेही और योजना में पारदर्शिता के अभाव को लेकर प्रधानमंत्री ने क्रियान्वयन के स्तर पर खामियाँ गिनाईं। 21 जनवरी को प्रकाशित एक अन्य समाचार में मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अंबेडकर गांवों में विकास कार्यों की अनदेखी के लिये

सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को चेतावनी दी है। जनपद के एक सौ से अधिक अंबेडकर गावों सहित अन्य गावों में मनरेगा से लेकर अन्य विकास कार्यों की रूपरेखा बनाकर कार्य कराये जा रहे हैं। वहाँ शौचालय, सड़क निर्माण, कांशीराम आवास, महामाया आवास, खडंजा बिछाने, बिजली आपूर्ति से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त किया गया है।

नकारात्मक समाचार:- नकारात्मक समाचार मनरेगा योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, मनमानी और ऐसे ही अन्य नकारात्मक पहलुओं से जुड़े हैं। 13 मार्च को प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार में ऐसी ही अनियमितता पर संसदीय लोक लेखा समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को कड़ी फटकार लगायी है। मजदूरी भुगतान में धांधली और घटिया निर्माण पर समिति ने पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की कड़ी आलोचना करते हुये दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई करने को कहा है। समिति की नजर में सरकार ने रोजगार देने की जल्दबाजी में गुणवत्ता को नजरअंदाज किया है। योजना में गड़बड़ियों का जिक्क करते हुये समिति ने जॉब कार्ड बनाने, फोटो चिपकाने और समय से मजदूरी भुगतान में धोखाधड़ी पर कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रामपंचायत व विकासखंड स्तर पर योजना के तहत रोजगार सेवकों की नियुक्तियाँ न होने से काम में धांधली और भ्रष्टाचार के पूरे आसार बताये गये हैं। 20 राज्यों में 100 से अधिक ब्लाकों में योजना के संचालन के लिये किसी अधिकारी की नियुक्ति न होना, एक दर्जन राज्यों के 57 विकासखंडों में तकनीकी सहायकों की नियुक्ति न होना। डेढ़ दर्जन राज्यों में कार्य योजना बनाने और तैयार करने वाले इंजीनियरों का पैनाल तक नहीं होना योजना के क्रियान्वयन पर संदेह उत्पन्न करता है। कानून के तहत पंचायत स्तर पर कार्य कराने के पूर्व ग्राम सभा की बैठक बुलाना जरूरी है, तब भी एक दर्जन राज्यों की सवा सौ पंचायतों में इसका आयोजन नहीं हुआ है। मजदूरी भुगतान में धांधली पर समिति ने लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनायी है। रिपोर्ट के मुताबिक 217 ग्राम पंचायतों में मजदूरों को मजदूरी देने में जरूरत से ज्यादा देरी हुई है। इस से संबन्धित एक समाचार 21 जनवरी को प्रकाशित हुआ है जिसमें बैंक द्वारा मनरेगा के मजदूरों के खाते नहीं खोले जा रहें हैं। एक अन्य समस्या को 10 फरवरी और 11 मार्च को प्रकाशित समाचार में उठाया गया है जिसके तहत मनरेगा के लिये आये धन से अन्य सामग्रियाँ खरीदी जा रही हैं। 11 मार्च के समाचार में उदाहरण देकर बताया गया है कि उन्नाव में इसके पैसे से 972 डिजिटल कैमरे खरीदे लिये गये। चित्रकूट में 700 कैमरों की खरीददारी हुई। महोबा में 247 अलमारी, बाँदा में दो करोड़ की मेज कुर्सी, सिद्धार्थनगर में 1210 शिकायत पेटिकाओं की खरीद भी मनरेगा के पैसे से की गयी। कानपुर देहात में तो कमाल ही हो गया जहाँ दलितों में वितरित करने के लिए ढाई करोड़ रुपये का सब्जी का हाईब्रिड बीज खरीद डाला गया। 10 फरवरी के समाचार के मुताबिक मनरेगा के तहत गोण्डा में जाब कार्ड धारकों के बच्चों के लिये एक करोड़ रुपये के खिलौने खरीद लिये गये। 55 लाख रुपये के कैलेण्डरों की खरीद हुई। महोबा में 40 लाख रुपये में टेंट का खरीददारी दिखा दिया गया। इसके बावजूद इनका कोई रिकार्ड नहीं है। इसके अलावा प्रचार प्रसार के लिये एक एनजीओ को 50 लाख रुपये दिये गये। औरैया में 55 लाख के ट्री-गार्ड खरीदे गये, पर मौके पर एक भी उपलब्ध नहीं है। गोण्डा में तीन साल में 17 करोड़ रुपये की खरीददारी की गई। 22 दिसम्बर 09 को प्रकाशित समाचार में प्रस्तावित योजना के लिये पूरे बजट का आधा भाग न मिलने को शीर्षक बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। जैसे मजदूरों का न मिलना, मछली पालन, औषधि खेती के लिये जमीन की समस्या। पथरीले इलाकों में किसान कैसे खेती करें? सरकार अपनी ओर से जमीन दे तो बात बने। 20 दिसम्बर, 09 के एक समाचार में मनरेगा दिवस पर एक भी फरियादी का शिकायत लेकर न पहुँचने को शीर्षक बनाया गया है। तहसील दिवस की तर्ज पर तहसील कार्यालय में हर महीने के प्रथम बुधवार को मनरेगा दिवस का आयोजन भी किया जाता है। तहसील दिवस में प्रशासन के आला अफसर शिकायतों को सुनने के लिये मौजूद रहते हैं। लेकिन मनरेगा दिवस पर ऐसा नहीं होता। पत्र लिखता है- यूँ तो जनपद में मनरेगा का बुरा हाल है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, उन्हें कम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, इत्यादि कई समस्याओं से मजदूर जूझ रहें हैं, लेकिन वे इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि अपने साथ हो रहे अन्याय का मुकाबला कर सकें। यही कारण है कि मनरेगा दिवस पर एक भी फरियादी नहीं पहुँचा। एक कारण यह भी है कि लोगों को अब ऐसे दिवसों पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि

समस्याओं का समाधान होने का प्रतिशत बहुत कम है। यह भी एक कारण है।

सूचनात्मक समाचार:- 17 फरवरी को प्रकाशित समाचार में सूचनात्मक जानकारी दी गयी है कि अब 12वीं पास को भी मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्र सरकार ने ढाई लाख से अधिक पढ़े लिखे युवाओं को उनके गाँव में ही रोजगार देने की योजना तैयार की है। इससे जहाँ इनकी रोजी-रोटी का इंतजाम हो जायेगा, वहीं मनरेगा के कामों की कारगर निगरानी भी हो सकेगी। 12वीं पास लोगों की नियुक्ति लोकसेवकों और लोककर्मों के रूप में होगी। इसका उद्देश्य मनरेगा के श्रमिकों को जागरूक बनाना और बैंको व डाकघरों के साथ समन्वय करना है। लोककमी, अशिक्षित ग्रामीण मजदूरों के आवेदन भी लिखेंगे। उनके मानदेय का बंदोबस्त मनरेगा में आवंटित छह फीसदी प्रशासनिक खर्च से किया जायेगा। 13 मार्च को प्रकाशित समाचार में योजना में काम करने के दौरान दुर्घटना में मजदूरों की मौत पर होने वाले मुआवजे की राशि 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की सिफारिश की गयी है। इसके लिए जरूरी होने पर कानून में संशोधन भी किया जायेगा। 3 फरवरी के समाचार में जनसुविधा केन्द्रों के बारे में सूचना दी गयी है। जनता को गाँव-कस्बे में ही शासकीय सुविधायें मुहैया कराने के लिए सरकार ने 17,900 जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना कराने का निर्णय किया है। इन जनसुविधा केन्द्रों में कम्प्यूटरों के जरिये वाहन पंजीकरण, परमिट, विभिन्न तरह के टैक्सों की अदायगी, बिजली एवं मोबाइल बिल जमा करने, खतौनी, छात्रवृत्ति एवं पेंशन प्राप्त करने, विकलांग, जाति एवं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के अलावा विकास कार्यों में धांधली से संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जा सकेगा। 3 फरवरी के एक अन्य समाचार में अधिकारियों ने ग्राम चौपाल लगाकर किसानों को कई जानकारियाँ उपलब्ध करायीं है। 21 जनवरी के एक समाचार में काम सही न मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी ने अन्य सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को चेतावनी दी है कि काम सही समय में पूर्ण किया जाय।

विचारात्मक सम्पादकीय:- 16 फरवरी को प्रकाशित सम्पादकीय में पत्र ने केन्द्र सरकार पर योजना को लेकर राजनीतिक लाभ उठाने पर चिंता एवं रोष व्यक्त किया है। पत्र सम्पादकीय में लिखता है कि मनरेगा-मनरेगा नाम से चर्चित योजना राजनीतिक हथियार बनती जा रही है। इसका प्रमाण केन्द्र सरकार का वह निर्णय है जिसके तहत इस योजना के प्रचार-प्रसार में और अधिक धन खर्च किया जाएगा। मनरेगा सहित कुछ अन्य केन्द्रीय योजनाओं के प्रचार में ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिये खर्च किया जाएगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये योजनाएं संग्रह सरकार की ओर से चलायी जा रही हैं न कि राज्यों की ओर से। पत्र आगे लिखता है कि आखिर मनरेगा के पैसे से राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों का निर्माण कराने का क्या मकसद है? क्या इसलिये कि इसी बहाने पूर्व प्रधानमंत्री का नाम हो सके? सम्पादकीय में पत्र आगे लिखता है कि केन्द्र सरकार इस योजना को वास्तव में सफल बनाना चाहती है तो उसे इस पर भी ध्यान देना होगा कि मजदूरी करने वाले सदैव मजदूर ही न बने रहें। मजदूरों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकालने के लिये यह आवश्यक है कि वे केवल सौ दिन के रोजगार पर ही आश्रित न रहें। इसके अलावा योजना से जुड़े अन्य मुद्दों को भी आंशिक रूप से उठाया गया है।

विज्ञापन :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 फरवरी को हाने वाले महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सम्मेलन की जानकारी एक संपूर्ण पृष्ठ पर उपलब्ध करायी गयी है। विज्ञापन में अध्यक्ष संग्रह, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय ग्रामीण एवं पंचायतीराज मंत्री और ग्रामीण विकास राज्य मंत्रियों की पासपोर्ट आकार की फोटो को दर्शाया गया है। विज्ञापन में मनरेगा में कार्यरत पुरुष और एक महिला का फोटो पृष्ठ के दाएँ भाग के निचले हिस्से में दिया गया है। विज्ञापन में सम्मेलन के स्थान के साथ ही योजना के चार वर्ष के क्रियान्वयन पर पुरस्कार वितरण के संबंध में जानकारी दी गयी है। इसके अलावा निम्न विषयताओं और नई पहल के बारे में भी जानकारी दी गयी है।

विशेषतायें-

चालू वर्ष के लिये निधियों के आवंटन को बढ़ाकर 39,100 करोड़ रुपये किया गया।

4.27 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वास्तविक मजदूरी को बढ़ाकर प्रतिदिन सौ रुपये किया गया।

अब तक दौ सौ करोड़ श्रम दिवस सृजित किये गये, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाओं के लिये, 30 प्रतिशत

अनुसूचित जाति के लिये और 22 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये है।

पारदर्शिता के सहित मजदूरी भुगतान के लिए 8.8 करोड़ बैंक खाते खोले गये।

619 जिलों में 34 लाख कार्य शुरू किये गये।

नये पहल -

श्रम की महत्ता, जिलास्तरीय आम्बोड्समन : पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिए देश के विख्यात नागरिकों द्वारा निगरानी एवं समाजिक लेखा-परीक्षा।

सतत् विकास कि लिए अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल संबंधी दिशा-निर्देश।

ग्राम ज्ञान केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण।

मजदूरी के समीपवर्ती भुगतान के लिए बिजनस कॉरस्पोंडेंट मॉडल को सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति के नाम समर्पित कार्यक्रम।

सारांश-

दैनिक समाचार पत्र ने परिकल्पना के विपरीत मनरेगा से संबन्धित समाचारों के प्रकाशन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाहन किया है। चाहे वह पृष्ठ संख्या हो या कॉलम के जरिये दिया जाने वाला स्थान, क्रासर, शीर्षक या ले-आउट मनरेगा से संबन्धित सभी समाचारों को महत्व प्रदान किया गया है। बेहतर होता यदि समाचार पत्र मजदूरों और किसानों की मनरेगा के प्रति भावनाओं पर आधारित दो-तीन समाचार प्रकाशित करता।

समाचार पत्र ने सभी प्रकार की खबरें चाहे वो अनियमितता से संबन्धित हों या भ्रष्टाचार से, क्रियान्वयन में लापरवाही या पारदर्शिता का अभाव, धन का दुरुपयोग एवं गुणवत्ता में कमी, इन सभी को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। साथ ही योजना के संबंध में उपलब्ध नित-नयी जानकारी, समितियों की रिपोर्ट या अन्य सूचनात्मक समाचार सभी को बेहतर तरीके से प्रकाशित किया गया है। मनरेगा से संबन्धित लगभग सभी केन्द्रीय, राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर तक के समाचार पत्र में प्रकाशित हुए हैं जो विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

शोध अवधि के दौरान केवल एक सम्पादकीय मनरेगा विषय पर प्रकाशित हुआ। इसके अलावा सम्पादकीय पृष्ठ पर एक भी इस विषय से संबन्धित न ही कोई लेख एवं न ही सम्पादक के नाम पत्र कॉलम में था। पत्र यहीं थोड़ा कमजोर दिखा। इस अवधि के दौरान कम से कम एक-दो गंभीर लेख विषय पर होने चाहिये थे। सम्पादक के नाम पत्र में विषय का न होना दर्शाता है कि लोगों के लिये ग्रामीण विकास कोई विशेष महत्व नहीं रखता।

सरकारी विज्ञापनों की संख्या असंतोषजनक है। इस शोध अवधि के दौरान मात्र एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ। जिसका उद्देश्य योजना के बारे में जानकारी देना कम बल्कि राजनीतिक विज्ञापन अधिक था।